PROSPETUS

Success through skill!
GT Road, KALADIH

Damien Vocational Training Centre Private ITI

(A Unit of DSWC)
GT Road, Kaladih More, Post- Bhitia, Govindpur, Dhanbad 828109
NCVT , New Delhi Affiliation No.-DGT 6/34/28/2016 TC
Email: dvtciti2016@gmail.com, Mobile No.: 6206524043

संक्षिप्त परिचय

DAMIEN SOCIAL WELFARE CENTRE (DSWC)

डेमियन सामाजिक कल्याण केन्द्र, एक सामाजिक सेवा करने वाली संस्था है। जो सामाजिक सेवा का कार्य वर्ष 1964 से लगातार करते आ रही है। इसका पंजीकरण संख्या 59 है जो कि 17 मार्च 1969 को अखण्ड बिहार की राजधानी पटना में हुई थी। झारखण्ड राज्य बनने के बाद इसका पंजीकरण संख्या 392 हो गया है, जो कि 22 मार्च 2006 में राँची में किया गया।

सामाजिक सेवा के लिए इस संस्था की कई ईकाईयाँ बनाई गई, जो निम्नलिखितहै-

1) निर्मला जेनरल और कुष्ठ अस्पताल, गोविन्दपुर
2) निर्मला स्कूल, गोविन्दपुर
3) निर्मला गर्ल्स होस्टल, गोविन्दपुर
4) बरामसिया पुनर्वास और प्रशिक्षण केन्द्र, धनबाद
5) वी० आई० पी० होम (विकलांगो के लिए)
6) निर्मला नर्सिंग स्कूल, गोविन्दपुर,
7) डेमियन वोकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर प्राइवेट आई०टी०आई०, गोविन्दपुर

DAMIEN VOCATIONAL TRAINING CENTRE PRIVATE ITI

डेमियन सामाजिक कल्याण केन्द्र की हर इकाई की तरह डेमियन वोकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर प्राइवेट आई० टी० आई०, गोविन्दपुर भी विशेष उदेश्य से प्रारम्भ की गई हैं।

Motto- *Success through Skill*

1. समाज के गरीब परीवारों के लड़के और लड़कियों को कम शुल्क (फीस) में आई०टी०आई० का प्रशिक्षण दिलाना।
2. प्रशिक्षित बनने के लिए प्रशिक्षणार्थियों के लिए सभी सुविधाओं से युक्त वर्कशॉप की व्यवस्था।
3. सभी प्रशिक्षणार्थियों को अनुभवी प्रशिक्षित प्रशिक्षकों (Trained Instructor) द्वारा प्रशिक्षण दिलाना।
4. युवक एवं युवतियों को रोजगार के अवसर प्रदान कराना।
5. प्रशिक्षण के बाद Railway-(RRB,RRC), ISRO, NTPC, INDIAN ORDNANCE FACTORY, Navy, SAIL, State Electricity Board, BHEL आदि परीक्षाओं में शामिल हो सकते है।
6. Spoken English and Computer Class की व्यवस्था।

(FORMAL TRAINING)

ITI NCVT COURSES

कोर्स का नाम	कोर्स की अवधी	सत्र	भाषा	सीट
1. Electrician (इलेक्ट्रीशियन)	दो वर्ष	अगस्त	हिन्दी / अंग्रेजी	20
2. Fitter (फिटर)	दो वर्ष	अगस्त	हिन्दी / अंग्रेजी	20

न्युनतम शैक्षणिक योग्यता :- दसवीं कक्षा में उतीर्णता आवश्यक है।

शारीरिक योग्यता :- आवेदक पूरी तरह स्वस्थ हो।

आयु अहर्ता :- आवेदक की न्युनतम आयु 14 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

छात्रवृत्ति :- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /पिछड़े वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को कल्याण विभाग , झारखण्ड सरकार से नियमानुसार छात्रवृत्ति मिलता है।

छात्रवृत्ति फॉर्म भरने के लिए निम्नलिखित प्रमाण पत्र/दस्तावेज की आवश्यकता होती है-
1) जाति प्रमाण पत्र (2) आवासिय प्रमाण पत्र (3) आय प्रमाण पत्र (नया)

चयन प्रक्रिया

चयन एवं नामांकन के लिए आवेदकों का लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

- साक्षात्कार के समय सभी मूल प्रमाण पत्रों को लाना अनिवार्य है।
- साक्षात्कार पूरा होने के बाद सभी मूल प्रमाण पत्रों को वापस कर दिया जाएगा।

नामांकन के समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र/दस्तावेज अवश्य लेकर आएँ-

1. पुरा भरा हुआ आवेदन पत्र
2. रंगीन पासपोर्ट फोटो 6
3. मैट्रीक (दसवीं) का अंकपत्र - स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति
4. मैट्रीक (दसवीं) का प्रवेश पत्र- स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति
5. आधार कार्ड - स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति
6. स्कूल / कॉलेज परित्याग प्रमाण पत्र (मूल प्रति)

प्रशिक्षण का समय (Training Timings)

9:00 am to 5:00 pm (Monday to Friday)
9:00 am to 12:30 pm (On Saturday)
(Lunch Break: 12:30 pm to 1:30 pm)

पोशाक / ड्रेस (Uniform / Dress)

लड़को के लिए	लड़कियों के लिए
ग्रे रंग का फूल पेन्ट (पतलून) स्काई ब्लू रंग का सर्ट	ग्रे रंग की सलवार, स्काई ब्लू रंग की कुर्ती और ग्रे रंग का दुपट्टा
काला चमड़े का जूता	काला चमड़े का जूता

आई० टी० आई० प्रशिक्षण शुल्क

Schedule of Fees	1st Year	2nd Year
Admission Form @ Rs. 100	100/-	
Admission Fee @ Rs. 1000	1000/-	
Id Card	100/-	
Tuition Fee (Monthly) @ 1200	14,400/-	14,400/-
Examination Fee (Annual)	1000/-	1000/-
Total	16,600/-	15,400/-
Grand Total	32,000.00	

(परीक्षा शुल्क में परीक्षा विभाग, राँची द्वारा फेर बदल हो सकता है।)

छात्रावास की सुविधा (Hostel facility)

केवल जरूरतमंद तथा दूर में रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों के लिए ही उचित शुल्क में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है। छात्रावास में रहने के लिए प्राचार्य के नाम से आवेदन पत्र लिखना होगा।

Schedule of Fees	
छात्रावास शुल्क (मासिक)	300/-
भोजन -सुबह,दोपहर, शाम (मासिक)	600/-

सामान्य नियम एवं शर्ते :-

- संस्थान में प्रवेश लेने वाले प्रशिक्षुओं पर संस्थान की समय-समय पर लागू आचरण एवं अनुशासन नियमावली लागू होगी ।
- सभी प्रशिक्षु आम जनता एवं केंद्र में अपने आचरण के लिए प्राचार्य के प्रति उत्तरदायी होंगे ।
- सभी प्रशिक्षु संस्थान द्वारा अनुमत यूनिफॉर्म एवं छात्र पहचान पत्र धारण करेंगें । प्रशिक्षुओं को बिना उचित यूनिफॉर्म के संस्थान में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा ।
- प्रशिक्षुओं को थ्योरी, अन्य विषय एवं प्रयोगिक कक्षा में समय एवं नियमित उपस्थिति दर्ज करानी होगी और उन्हे दिया गया कार्य समय से पूरा करना होगा। फाइनल ट्रेड परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम अनिवार्य उपस्थिति कुल वास्तविक कार्य दिवसों का 80 प्रतिशत होगा ।
- प्रशिक्षुओं को प्रत्येक माह के 15 तारीख तक फीस का भुगतान करना होगा , अन्यथा 50 रू0 फाइन के साथ देय होगा । यदि प्रत्येक सेमेस्टर-परीक्षा के पहले प्रशिक्षण शुल्क , सेमेस्टर परीक्षा शुल्क या अन्य कोई शुल्क जमा नहीं किये जाते तो प्रशिक्षुओं को सेमेस्टर परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा । इसके लिए संस्थान की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी ।
- वर्ष में सामान्य अवकाशों के अतिरिक्त प्रशिक्षुओं को 12 दिन का आकस्मिक अवकाश भी दिया जाएगा । जो एक समय में अधिकतम 6 दिन तक ही दिया जाएगा ।
- ऐसे प्रशिक्षु जो कार्य करते समय संस्थान में चोटग्रस्थ हुए हों इसके अतिरिक्त यदि बीमारी के कारण वे कक्षा में उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो उन्हे 10 दिन प्रतिवर्ष चिकित्सा अवकाश दिया जाएगा ।
- नियमों को परिवर्तित करने का अधिकार प्रबंधन के पास सुरक्षित रहेगा और ये सभी प्रशिक्षुओं को मान्य होंगे । नियमों की जानकारी न होने से कोई प्रशिक्षु अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाता ।
- प्रशिक्षु संस्थान परिसर में अपने सामान की सुरक्षा के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे । सामान खो जाने अथवा क्षतिग्रस्त हो जाने के लिए संस्थान की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी ।

- लगातार 5 दिन तक संस्थान परिसर से बिना अनुमति के गैर हाजिर रहने पर प्राचार्य ऐसे प्रशिक्षुओं को लिखित रूप में चेतावनी जारी करेगा ।
- ऐसे प्रशिक्षु जो लगातार 8 दिन तक संस्थान से बिना अनुमति के और अपनी अनुपस्थिति के कारण की सूचना दिए बगैर गैर हाजिर रहते है तो उन्हे प्राचार्य भगोड़ा घोसित कर, अनुपस्थिति के पहले दिन से ही उनका पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा ।
- प्रत्येक प्रशिक्षु को वर्ष के प्रारंभ में ही प्राचार्य के द्वारा हस्ताक्षरित पहचान पत्र बनवाना होगा और उसे गले में लटकाना होगा । जहां भी आवश्यकता हो उसे अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
- संस्थान में मद्यसेवन, धूम्रपान, तम्बाकू, गुटखा ,पान, और अन्य मद्य पदार्थों का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित हैं ।
- कक्षा / कार्यशाला में मोबाइल फोन का इस्तेमाल प्रतिबंधित हैं ।
- प्रशिक्षुओं की असावधानी से संस्थान के भवन / उपकरण / मशीन आदि को क्षति पहुँचती है तो उन्हें उसके मरम्मत /रखरखाव का भुगतान करना होगा ।
- प्रशिक्षुओं को संस्थान परिसर में अनुशासित एवं संयमित आचरण करना होगा ।
- प्रशिक्षुओं को किसी भी प्रकार की राष्ट्र विरोधी, सरकार विरोधी, संस्थान विरोधी, और समाज विरोधी गतिविधयों में शामिल नहीं होना चाहिए ।
- संस्थान एवं प्रशिक्षुओं के सभी मामलों में प्राचार्य/निदेशक का निर्णय अंतिम होगा और संस्थान के सभी प्रशिक्षुओं को मान्य होगा ।

PHOTO GALLERY